कार्यालय– स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–वॉटरशेड विकास (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)
परती भूमि विकास विभाग, उ0प्र0 शासन
एल्डिको कॉरपोरेट टॉवर, विभूति खण्ड़ गोमती नगर, लखनऊ
दूरभाष–0522–4005337, 4113437 ईमेल–sldcldwrlu-up@nic.in

पत्रांक– 458 /एस.एल.डी.सी/लेखा–EOI/2017–18 दिनॉक 14 सितम्बर,2017

"अभिरूचि की अभिव्यक्ति" (Expression of Interest)

भारत सरकार द्वारा जारी समान मार्गदर्शी सिद्धान्त 2008 (यथा संशोधित 2011) के अन्तर्गत प्रदेश के लिए स्वीकृत समेकित वॉटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी) योजना मे संचालित परियोजनाओं का डब्ल्यू.सी.डी.सी./पी.आई.ए. डब्ल्यू.सी. तथा एस.एल.एन.ए स्तर के समस्त (संस्थागत/परियोजनावार) अभिलेखों का वित्तीय वर्ष 2016–17 की लेखा परीक्षा भारत सरकार के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी. एण्ड ए.जी.) से अनुमोदित चार्टर्ड एकाउन्टेट से कराये जाने हेतु चार्टर्ड एकाउन्टेट फर्मो का पैनल (सूचीकरण) तैयार किये जाने हेतु दिनांक 03.10.2017 की सांय 5:00 बजे तक EOI ई–टेण्डर के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। ई–टेण्डरिंग के माध्यम से प्राप्त निविदाओं को दिनांक 04.10.2017 को पूर्वान्ह 11.00 बजे खोला जायेगा। विस्तृत विवरण एवं शर्ते विभाग की वेबसाइड http://upldwr.up.nic.in पर उपलब्ध है। प्रारूप आदि को डाउनलोड किया जा सकता है।

क0 सं0	सूचीकरण की मुख्य कसौटी
1	फर्म भारत सरकार के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय के चार्टर्ड एकाउन्टेंट के अनुमोदित पैनल में पंजीकृत होना चाहिए।
2	फर्म को लेखा परीक्षा के कार्य का 20 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
3	फर्म के कम से कम 03 एफ.सी.ए. पार्टनर हो।
4	फर्म का गत तीन वर्षो (वर्ष 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17) का प्रतिवर्ष टर्न ओवर कम से कम रू0 100.00 लाख होना चाहिए।
5	फर्म द्वारा 01.01.2016 को इस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट ऑफ इण्डिया से जारी संवैधानिक प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
6	फर्म के पास उ0प्र0संरकार के किसी विभाग का राज्य स्तरीय उपयोगिता प्रमाण पत्र बनाने एवं केन्द्र सरकार को प्रेषित करने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो।
7	ई0ओ0आई0 के साथ फर्म को रू0 01.00 लाख का डी.डी. धरोहर धनराशि के रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा टेण्ड़र स्वीकृति के उपरान्त यह धनराशि जमानत के रूप में मानी जायेगी।

उक्त शर्तों के परिपालन में साक्ष्य संलग्न कराना अनिवार्य होगा।

नोटः–

1. निविदा कमेटी के पास अधूरे/अस्पष्ट निविदा (EOI) को बिना कारण बताए आंशिक अथवा पूर्ण स्वीकृति/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित होगा।
2. चार्टर्ड एकाउन्टेंट से वार्षिक ऑडिट कराने की अनुमोदित फीस निम्नवत् निर्धारित हैः–
   - डब्ल्यू.सी. का ऑडिट कराने हेतु रू0 750.00 प्रति डब्ल्यू.सी. (वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान डब्ल्यू.सी. में ब्याज के अतिरिक्त कोई लेन देन न होने की स्थिति में सी.ए. द्वारा उसकी बैलेंश शीट एवं बैंक समाधान विवरण आदि प्रस्तुत करनी होगी, परन्तु विभाग द्वारा ब्याज के अतिरिक्त कोई लेन देन न करने वाली डब्ल्यू.सी. की काई फीस सी.ए. को देय नही होगी)।
   - पी.आई.ए. का ऑडिट कराने हेतु रू0 3000.00 प्रति परियोजना।
   - डब्ल्यू.सी.डी.सी. का ऑडिट कराने हेतु रू0 2000.00 डब्ल्यू.सी.डी.सी. (प्रति जनपद)।
   - चयनित फर्म द्वारा एस.एल.एन.ए. कार्यालय पर एक सुयोग्य कर्मचारी तैनात करना होगा, जो कार्यालय के कार्यों में आवश्यकतानुसार अपनी राय/मार्गदर्शन देगा तथा वार्षिक अभिलेखों को तैयार

करना। चयनित फर्म द्वारा एस.एल.एन.ए. स्तर की वर्ष 2016–17 का ऑडिट, यू.सी., बी.आर.एस. तैयार करना एवं परियोजना तथा संस्थागत मद का अलग–अलग तलपट, बैलेंशशीट के साथ ही भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्देशित सूचनाओं को तैयार कराकर सत्यापित करना होगा, जिसके लिए रू0 50000.00 + शासकीय कर देय होगा। प्रदेश स्तर की संकलित सूचना, उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित कराना होगा, जिसके लिए रू0 500.00 + शासकीय कर प्रति परियोजना का भुगतान किया जायेगा।

3. समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी) वाटरशेड डेवलपमेंट के लिए समान मार्गदर्शी सिद्धान्त 2008 (यथा संशोधित 2011) भारत सरकार की वेबसाइड http://dolr.nic.in पर उपलब्ध है।
4. इच्छुक फर्म EOI में अपना पूर्ण पता, दूरभाष संख्या (एस.टी.डी. कोड़ सहित)/ई–मेल एड्रेस/मोबाइल संख्या एवं फर्म का पैन नं0 (छायाप्रति सहित) अवश्य अंकित करें, ताकि परीक्षणोपरान्त अग्रिम कार्यवाही हेतु सम्पर्क किया जा सके।
5. फर्म का जी.एस.टी. में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।
6. इच्छुक निविदाकर्ता वेबसाइट http://etender.up.nic.in के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
7. अन्य निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार मान्य होंगे।

14-9-17

(चन्द्र प्रकाश त्रिपाठी)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–वॉटरशेड विकास
(आई.डब्ल्यू.एम.पी.)
परती भूमि विकास विभाग, उ0प्र0 शासन
एल्डिको कॉरपोरेट टॉवर, विभूति खण्ड़ गोमती नगर, लखनऊ

चार्टर्ड एकाउन्टेंट फर्मों को सूचीकरण करने हेतु

"अभिरूचि की अभिव्यक्ति"
(Expression of Interest)

नियम एवं विवरण

मूल्य रू0 5000/–
(रू0 पॉच हजार मात्र)

वित्तीय प्रस्ताव

अ– अभिरूचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने वाली फर्मों से अपेक्षा की जाती है कि विभाग की निम्न दरों पर कार्य करने की रूचि रखती हों

1. डब्ल्यू.सी. का ऑडिट करने हेतु रू0 750.00 + शासकीय कर प्रति डब्ल्यू.सी. देय होगी वित्तीय वर्ष के दौरान डब्ल्यू.सी. में ब्याज के अतिरिक्त अन्य कोई लेन–देन न होने की स्थिति में सी.ए. द्वारा उसकी बैलेंशशीट एवं बैंक समाधान विवरण प्रस्तुत करना होगा, परन्तु विभाग द्वारा ब्याज के अतिरिक्त कोई लेनदेन न होने की स्थिति में उक्त डब्ल्यू. सी. की कोई फीस देय नही होगी।
2. पी.आई.ए. के ऑडिट हेतु रू0 3000.00 + शासकीय कर प्रति परियोजना।
3. डब्ल्यू.सी.डी.सी. के ऑडिट हेतु रू0 2000.00 + शासकीय कर प्रति जनपद।
4. एस.एल.डी.सी. के ऑडिट, बैंक रिकॉन्सलेशन एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र/प्रोविजनल प्रमाण–पत्र किये जाने आदि हेतु रू0 50000.00 + शासकीय कर।
5. एस.एल.डी.सी. स्तर पर ऑडिट रिपोर्ट के संकलन, बैंक रिकॉन्सलेशन, बैलेंशशीट आदि तैयार करने हेतु रू0 500.00 + शासकीय कर प्रति परियोजना।
6. बैलेंशशीट के साथ ऑडिट रिपोर्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. संस्थागत मद एवं जिन परियोजनाओं में केवल ब्याज की प्रविष्टि होगी उन परियोजनाओं हेतु कोई फीस संकलन एवं ऑडिट हेतु देय नही होगी।

ब–

1. फर्म/कम्पनी को प्रमाणित करना होगा कि फर्म/कम्पनी पर शासकीय बकाया नही है।
2. फर्म/कम्पनी द्वारा आयकर एवं जी.एस.टी. का समय से भुगतान किया जा रहा है।

तकनीकी प्रस्ताव

1. अभिरूचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने वाली फर्मों से अपेक्षा की जाती है कि सूचनाओं को एक सूची (Index) में प्रस्तुत करेगी, जिसमें पृष्ठ संख्या एवं विवरण होगा।
2. फर्म/कम्पनी का नाम।
3. पंजीकरण की तिथि एवं साझेदारों की संख्या।
4. आयकर विभाग द्वारा निर्गत पैन नंम्बर।
5. धरोहर धनराशि का विवरण।
6. फर्म/कम्पनी को प्रमाणित करना होगा कि फर्म/कम्पनी को किसी सरकारी विभाग/निगम/संस्था या अन्य द्वारा कालीसूची में नही डाला गया है।
7. फर्म भारत सरकार के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय के चार्टर्ड एकाउन्टेंट के अनुमोदित पैनल में पंजीकृत होना चाहिए।
8. फर्म को लेखा परीक्षा के कार्य का 20 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
9. फर्म के कम से कम 03 एफ.सी.ए. पार्टनर हो।
10. फर्म का गत तीन वर्षो (वर्ष 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17) का प्रतिवर्ष टर्न ओवर कम से कम रू0 100.00 लाख होना चाहिए।
11. फर्म द्वारा 01.01.2016 को इस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट ऑफ इण्डिया से जारी संवैधानिक प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
12. फर्म के पास उ0प्र0संरकार के किसी विभाग का राज्य स्तरीय उपयोगिता प्रमाण पत्र बनाने एवं केन्द्र सरकार को प्रेषित करने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो।
13. ई0ओ0आई0 के साथ फर्म को रू0 01.00 लाख का डी.डी. धरोहर धनराशि के रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा EOI स्वीकृति के उपरान्त यह धनराशि जमानत के रूप में मानी जायेगी।
14. अधूरे/अस्पष्ट EOI को बिना कारण बताए अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार प्रमुख सचिव, परती भूमि विकास विभाग, उ0प्र0 शासन में निहित होगा।
15. समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी) के लिए समान मार्गदर्शी सिद्धान्त 2008 (यथा संशोधित 2011) भारत सरकार की वेबसाइड http://dolr.nic.in पर उपलब्ध है।
16. इच्छुक फर्म प्रार्थना पत्र में पूर्ण पता दूरभाष संख्या (एस.टी.डी. कोड सहित)/ई–मेल एड्रेस/मोबाइल संख्या अवश्य अंकित कर प्रेषित करें, ताकि परीक्षणोपरान्त अग्रिम कार्यवाही हेतु सम्पर्क किया जा सके।
17. किसी भी फर्म/कम्पनी को पैनल हेतु चयन, कार्य आंवटन करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी में निहित होगा।
18. किसी भी विवाद की स्थिति मे प्रमुख सचिव, परती भूमि विकास विभाग, उ0प्र0 शासन Arbitrator होंगे एवं प्रमुख सचिव, परती भूमि विकास विभाग, उ0प्र0 शासन का निर्णय अन्तिम होगा, जो सभी पक्षों को मान्य होगा।

प्रपत्र

1. इस प्रपत्र का मूल्य रू0 5000.00 (पॉच हजार मात्र) है यह धनराशि किसी भी दशा में वापस नही की जायेगी। धनराशि को इलेक्ट्रॉनिक/बैंकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है। चेक को स्वीकार नही किया जायेगा। प्रपत्र को डाउनलोड करने पर भी रू0 5000.00 की धनराशि इलेक्ट्रॉनिक/बैंकर्स चेक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से मुख्य कार्यकारी अधिकारी देय लखनऊ के नाम से जमा करनी होगी।
2. संलग्न सभी प्रपत्रों पर फर्म/कम्पनी के साझीदार के हस्ताक्षर अनिवार्य है। प्रपत्रों पर क्रमांक अवश्य पड़ा होना चाहिए गलत क्रमांक या त्रुटिपूर्ण होने पर विभाग का दायित्व नही होगा।
3. दिनांक 03.10.2017 तक ई–टेण्डर के माध्यम से प्राप्त निविदाएं दिनांक 04.10.2017 को पूर्वान्ह 11.00 बजे खोली जायेगी।

क्र.सं.	प्रपत्र का विवरण	पृष्ठ सं0
तकनीकी प्रस्ताव		
अन्य विवरण		